



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 148] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 1, 2019/ फाल्गुन 10, 1940
No. 148] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 1, 2019/ PHALGUNA 10, 1940

कॉरपोरेट मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2019

सा.का.नि. 168(अ).—केंद्रीय सरकार, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 189 की उपधारा (5) के साथ पठित धारा 239 की उपधारा (2) के खंड (यघ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) दूसरा संशोधन नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2016 में, नियम 16 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“16. छुट्टी का नकदीकरण.- (1) छुट्टी के दौरान, छुट्टी वेतन का संदाय केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के नियम 40 द्वारा शासित होगा।

(2) अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य किसी भी समय उनके पास जमा अर्जित छुट्टी के पचास प्रतिशत का भुगतान करवाने के हकदार होंगे।”

[फा.सं. 30/33/2018-इंसोल्वेंसी]

ज्ञानेश्वर कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम तारीख 29 अगस्त, 2016 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.831(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा तत्पश्चात् तारीख 09 फरवरी, 2018 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.153(अ), तारीख 2 नवंबर, 2018 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.1083(अ) और तारीख 18 जनवरी, 2019 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.41(अ), द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 2019

G.S.R. 168(E).— In exercise of the powers conferred by clause (zd) of sub-section (2) of section 239, read with sub-section (5) of section 189 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and members) Rules, 2016, namely:-

1. (1) These rules may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and members) Second Amendment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson and members) Rules, 2016, for rule 16, the following rule shall be substituted, namely:-

“16. Encashment of Leave.- (1) The payment of leave salary during leave shall be governed by rule 40 of the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972.

(2) The Chairperson and a whole time member shall be entitled to encashment of fifty per cent of earned leave standing to their credit at any time.”

[F. No. 30/33/2018-Insolvency]

GYANESHWAR KUMAR SINGH, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published *vide* number G.S.R. 831(E), dated the 29th August, 2016 and subsequently amended *vide* number G.S.R. 153(E), dated the 9th February, 2018, GSR 1083 (E), dated the 2nd November, 2018 and GSR 41(E) dated the 18th January, 2019.